न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा/69/2014

1. बद्रीनारायण पुत्र श्योनाथ जाति हरियाणा ब्राह्मण आयु 58 वर्ष निवासी ग्राम बीलवा कलॉ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

– वादी–

बनाम

1. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नि राकेश कुमार विजय
2. राकेश कुमार विजय पुत्र नाथूलाल
3. मुकेश कुमार विजय पुत्र राकेश कुमार विजय

जाति महाजन निवासी सी–66, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री गोगराज चौधरी, श्री सुरेन्द्र सिंह – वकील वादी
श्री निर्मल कुमार जैन– वकील प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय – दिनांक 16.05.2022

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 948 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 949 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 950 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 953 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 954 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 974 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 975 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 975/2069 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 978 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 981 रकबा 0.37 है0, खसरा नंबर 986 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 987 रकबा 0.33 है0, खसरा नंबर 989 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 1100 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 1101 रकबा [illegible] है0, कुल खसरा 15 कुल क्षेत्रफल 3.06 है0 में वादी का हिस्सा 1/8 तथा भूमि खसरा नंबर 952 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

है0, खसरा नंबर 955/2171 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 956 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 976 रकबा 0.02 है0 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 0.09 है0 में वादी का हिस्सा 1/16 वाके ग्राम बीलवा कलॉं, पटवार क्षेत्र बीलवा कलॉं, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है तथा वादी अपने हिस्सेनुसार उक्त भूमि पर मनबट के आधार पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पक्षकारान् की संयुक्त अविभाजित है, जिसका विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स आज दिन तक तकासमा नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त आराजी भूमि में आवागमन का एकमात्र रास्ता उक्त भूमि के लगवा भूमि खसर नंबर 970, 979 व 1130 की सीमा पर होकर 15 फीट चौडा रास्ता है, उकत रास्ते से वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर आते जाते है तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग वादी 50 वर्षो से अधिक समय से करता चला आ रहा है, इस रास्ते के अलावा वादी के आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है, उक्त रास्ते को वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल आडी तिरछी धारियो से दर्शित किया गया है। नक्शा ...पत्र का अभिन्न अंग है। उक्त भूमि के संबंध मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के विरूद्ध एक वाद बावत् सीमा निर्धारण, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का कर रखा है, जो वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 02.09.2014 नियत है तथा वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के चारो ओर प्रतिवादीगण की अन्य भूमि है जिससे प्रतिवादीगण की नियत में कुछ समय से बेईमानी व फितूर आया हुआ है तथा आपस में मिलीभगत व नाजायज सांठगांठ कर रखी है तथा वादी से द्वेषता रखते है, जिससे प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में वादी की खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि को हडपने की नियत ... वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने व उक्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करने की नियत से उक्त भूमि में आवागमन रास्ते को बंद कर वादी को उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग करने से वंचित करने व आवागमन बन्द करने पर आमादा हो रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:43:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

है, जिसका की प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी नियत से दिनांक 21.07.2014 को प्रतिवादीगण अपने साथ 8–10 अन्य व्यक्तियों को लेकर रास्ते की भूमि पर निर्माण करने व उक्त रास्ते को बन्द करने पर आमादा हुये तथा वादी को अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में आवागमन के एकमात्र उक्त रास्ते में आवागमन व बाधा व रूकावट उत्पन्न की, जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त अवैध व गैर कानूनी कृत्य करने हेतु मना किया तो प्रतिवादीगण वादी से नाराज हो गये तथा वादी के साथ गाली गलौच की, जिसका वादी ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण वादी के साथ लडाई झगडा व मारपीट करने तथा उक्त रास्ते को जबरन बंद करने पर आमादा हुये, जिससे हल्ला सुनकर आसपास के काश्तकारो व राह चलते व्यक्तियों की मौके पर काफी संख्या में भीड इकट्ठी हो गई, जिससे प्रतिवादीगण व उनके साथ आये व्यक्ति उस समय पर तो मौके पर से चले गये, लेकिन जाते समय वादी को ऐलानिया धमकी दी कि वे शीघ्र ही मौका प्रापत कर वादी के एकमात्र आवागमन के एकमात्र रास्ते को बन्द करके रहेगे जिसका प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय सहित डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वाद के साथ संलग्न नक्शे में लाल आडी तिरछी धारियो से दर्शित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण आदि कर उक्त रास्ते को अवरूद्व व बन्द नहीं करे करावे तथा वादी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग व आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा तथा उक्त रास्ते को अवरूद्व नहीं करे करावे ... उक्त रास्ते की स्थिति यथावत बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:02 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने वाद के साथ दस्तावेजात सूची के साथ प्रमाणित प्रति नक्शा, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2067–2070 पेश की जो शामिल पत्रावली है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री निर्मल कुमार जैन एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित है कि वादी सहखातेदार अवश्य है किन्तु उसका मौके पर कब्जा काश्त नही है मौके पर किसी भी प्रकार की फसल आदि उत्पन्न नही होती है। खसरा नंबर 970, 979, व 1130 में से या इनकी सीमा में से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नही है ना ही पक्षकार यहाँ से आते जाते है पूरी जमीन पूर्णतया सपाट मैदान की तरह मौके पर है। जो मिन प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है वादी का कोई भी कब्जा नही है ना ही वह आता जाता है ना ही मौके पर कोई कथित बताया गया रास्ता उपलब्ध है। तकासमें का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय के यहाँ जरूर चल रहा है किन्तु मिन प्रतिवादीगण नियमानुसार तकासमा करवाने को तैयार है किन्तु वादी जानबूझकर तकासमा नही करवाना चाहता है तथा मिन प्रतिवादीगण को बिना वजह हैरान परेशान करना चाहता है चूंकि वादग्रस्त आराजी के चारो ओर मिन प्रतिवादीगण के स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी है इस कारण वादी जानबूझकर परेशान करता है ताकि ऊँचे दामो पर वह अपनी भूमि मिन प्रतिवादीगण को विक्रय कर सके। दिनांक 21.07.2014 या किसी भी अन्य दिनांक को वादी को कोई भी वादकारण उत्पन्न नही हुआ है। जवाब कि विशेष आपत्ति में अंकित है कि वादी जिन खसरा नंबर 970, 979 व 1130 में से कोई रास्ता बता रहा है वह मिन प्रतिवादीगण की तन्हा खातेदारी की भूमि है। वादी यदि कोई रास्ता चाहता है तो उसे राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 251 ए के तहत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था। वादी इन नम्बरों में से कोई कदीमी रास्ता बताता है तो भी धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत ऐसे प्रकरणों को सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत व तहसीलदार को ही है। माननीय न्यायालय को इस [illegible] दावा सुनने का अधिकार प्राप्त नही है इस कारण उक्त दावा कानूनन चलने योग्य नही है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का [illegible] मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:43:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादी की ओर से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा का जवाबुल जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादी का मनवट के आधार पर मौके पर उसके हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है तथा काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं खसरा नंबर 970, 979 व 1130 की सीमा पर होकर 15 फीट चौडा रास्ता है, जिससे पक्षकार आते जाते है, उक्त भूमि प्रतिवादीगण की अकेले की कब्जे काश्त की नहीं है, बल्कि वादी का भी उसके हिस्से अनुसार कब्जा है। भूमि खसरा नंबर 970, 979 व 1130 में से होकर 15 फीट चौडा रास्ता है, जिसका वादी 150 वर्षो से अधिक समय से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, उक्त रास्ते के अलावा वादी के आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है, वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है, जिससे आने जाने का रास्ता भूमि खसरा नंबर 970, 979 व 1130 में से होकर है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त भूमि में उक्त रास्ते से ही आवागमन करते है जिससे वादी को धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियत के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है एवं खातेदारी की भूमि के संबंध में मान्य न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः जवाबुल जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाबुल जवाब रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावें।

पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र बद्रीनारायण पुत्र श्योनाथ जाति हरियाणा ब्राहम्ण आयु 66 वर्ष निवासी ग्राम बीवा कलॉ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पेश किया गया।

विचाराधीन वाद में वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण ने बहस वादपत्र हेतु निवेदन किया। बहस वादपत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि पक्षकारान् के मध्य विवादग्रस्त भूमि में खसरा नंबर 970 में 14 फीट रास्ते देने हेतु सहमति हो गई है उभयपक्ष अधिवक्ता ने सहमति की लिखावट पेश की। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

किया गया। जब स्वयं पक्षकारान् में रास्ते को लेकर सहमति बनी है की खसरा नंबर 970 की भूमि में प्रतिवादीगण वादी को आगागमन हेतु 14 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध करवायेगें। वकील वादी द्वारा सहमति लिखावट की प्रति भी दस्तावेजात सूची के साथ प्रस्तुत की है। वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमति लिखावट पर अपनी बहस की। उभयपक्ष अधिवक्ता ने सहमति लिखावट के अनुसार वाद को डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर जब उभयपक्ष लोक अदालत की भावना से सहमति के आधार पर वाद को डिक्री करवाना चाहते है तो वाद को डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 970 वाकै ग्राम बीलवा कलॉ, पटवार हल्का बीलवा कलॉ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में केवल खसरा नंबर 970 में लाल आडी तिरछी धारियो से दर्शित 14 फीट चोडे की भूमि में उपयोग–उपभोग व आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करें करावें तथा उक्त रास्ते को अवरूद्व नही करें, रास्ते की स्थिति को यथावत बनाये रखें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास

श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

बद्रीनारायण **बनाम** मुन्नी वगै.

वादपत्र बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/69/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 970 वाकै ग्राम बीलवा कलॉ, पटवार हल्का बीलवा कलॉ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में केवल खसरा नंबर 970 में लाल आडी तिरछी धारियो से दर्शित 14 फीट चोडे रास्ते की भूमि में उपयोग–उपभोग व आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करें, करावें तथा उक्त रास्ते को अवरूद्ध नही करें, रास्ते की स्थिति को यथावत बनाये रखें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ....✗.... मुवलिग ....✗.... बावत् ....✗....

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद वगैरह ....✗.... फीसदी सालाना आज की

तारीख से तारीख अदायगी तक ....✗.... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.05.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा .... सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकील			[illegible]		
खर्चा गवाहान			[illegible]		
फीस कमिश्नर			बावत् इजराय		
बावत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner